

65

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/बैतूल/भू.रा./2017/6041 विरुद्ध आदेश दिनांक 07-12-2017 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 68/अपील/2014-15.

1. सुरेन्द्र वर्मा आत्मज स्व. श्री सुन्दरलाल वर्मा
2. उपेन्द्र वर्मा आत्मजस्व. श्री सुन्दरलाल वर्मा
निवासीगण ग्राम टिकारी तह. व जिला बैतूल

आवेदकगण

विरुद्ध
अभ्य वर्मा आत्मज स्व. श्री सुन्दरलाल वर्मा
निवासी ग्राम टिकारी तह. व जिला बैतूल

अनावेदक

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री कमल मंगल, अभिभाषक, अनावेदक

:: आदेश ::

(आज दिनांक ११/६/१८ को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में 'संहिता' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-12-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक सुरेन्द्र कमार द्वारा तहसीलदार, बैतूल के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर मौजा टिकारी स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा क्रमांक 161, 194, 195, 819, 1193, 229/1, 262, 263, 264, 890 पर वसीयतनामा के आधार पर उभय पक्ष का नाम दर्ज करने का अनुरोध किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक

८८८/१

अधिकारी

194/अ-6/2009-10 दर्ज कर दिनांक 6-4-2013 को आदेश पारित कर उभय पक्ष का नाम दर्ज किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध अनावेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, बैतूल के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30-10-2014 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर मौजा टिकारी स्थित खसरा नम्बर 161, 194/1, 195/1, 229/1, 819/2, 819/3, 1193 कुल रकबा 5.701 हेक्टेयर पर सुन्दरलाल वर्मा के स्थान पर सभी वारिसानों सुरेन्द्र, उपेन्द्र, गांधीचरण, अभय, शांति, मालती, अनीता, रागिनी, संतोष का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 7-12-2017 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा आवेदकगण के साथ वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण करने का अनुरोध किया गया था और उभय पक्ष का नामांतरण भी हो गया था । अतः अनावेदक को वसीयतनामा के विरुद्ध शांतिबाई के साथ मिलकर कोई भी कथन करने से विबंधित था और अनावेदक को उसके पक्ष में हुए नामांतरण आदेश के विरुद्ध अपील करने का कोई अधिकार नहीं था, जिस पर दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि वरिष्ठ न्यायालय से स्थगन होने एवं मांग पत्र प्राप्त होने के उपरांत भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 15 माह तक अभिलेख नहीं भेजना एवं अनावेदक से दुरभिसंधि कर अंतिम आदेश पारित किया गया है, जिस पर आयुक्त द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि एक आदेश के विरुद्ध दो अपीलें पृथक-पृथक समानान्तर रूप से नहीं सुनी जा सकती है, किन्तु आयुक्त द्वारा विधि के इस सिद्धांत को समझने में भूल की गई है । अतः अपीलीय न्यायालयों के आदेश विधि विरुद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक पक्ष की ओर से कोई मौखिक अथवा लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये थे, किन्तु आयुक्त द्वारा अनावेदक पक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में जो उल्लेख किया गया है, वह किस आधार किया गया है, समझ से परे है । यह भी कहा गया कि आयुक्त द्वारा विधि विरुद्ध आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी के दूषित आदेश को प्रोत्साहित किया गया है, जो अवैधानिक एवं गैर कानूनी होकर निरस्त किये जाने योग्य है । तर्क में यह

भी कहा गया कि आयुक्त द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत तथ्य, तर्क एवं अभिलेख का बिना अवलोकन किये मनमाने तौर पर आदेश पारित किया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आयुक्त द्वारा तहसीलदार के विधिसंगत आदेश के सम्बन्ध में जो टिप्पणी की है, वह उचित नहीं है, क्योंकि जब अनावेदक अभय वर्मा को अपील करने का कोई अधिकार ही नहीं था, तब आयुक्त को विधिक बिन्दु के तहत उसी तथ्य को देखना था कि शांतिबाई ने अपील प्रस्तुत की है, उसमें सभी तथ्यों पर विचार किया जाना है। अतः आयुक्त द्वारा ऐसा नहीं कर विधि से परे जाकर आदेश पारित किया गया है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदकगण द्वारा वसीयतनामा को साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के तहत विधिवत प्रमाणित किया गया है, जिसमें अनावेदक की भी सहमति है, क्योंकि वसीयतनामा के खण्डन में उसके द्वारा कोई मौखिक अथवा लेखी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जिस पर कोई विचार नहीं करने में दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा विधि की गम्भीर भूल की गई है। अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलीय न्यायालयों द्वारा आवेदकगण को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया है।

उनके द्वारा दोनों अपीलीय न्यायालयों का आदेश निरस्त किया जाकर तहसील न्यायालय का आदेश यथावत रखते हुए निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि वसीयतकर्ता बीमार था, अतः उसके द्वारा वसीयतनामा का निष्पादन नहीं किया जा सकता था और आवेदकगण द्वारा साक्ष्य से वसीयतनामा को सिद्ध भी नहीं किया गया है। यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा उपरोक्त स्थिति पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है। तर्क में यह भी कहा गया कि तहसीलदार के अवैधानिक आदेश को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए निरस्त कर, प्रश्नाधीन भूमि पर मृतक भूमिस्वामी के सभी वारिसान के नाम दर्ज करने के आदेश देने में कोई अवैधानिकता नहीं की गई है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि आयुक्त द्वारा विस्तार से विवेचना करते हुए आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी के वैधानिक आदेश को यथावत रखा गया है। इस आधार पर कहा गया कि दोनों अपीलीय न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। उनके द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के आदेश यथावत रखते हुए निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि सुन्दर लाल द्वारा निष्पादित पंजीकृत वसीयत के आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का नामांतरण आवेदकगण तथा अनावेदक के पक्ष में किया गया है। पूर्व में वारिसान के आधार पर हुए नामांतरण को आयुक्त द्वारा निरस्त किया गया था। तहसील न्यायालय के अभिलेख में अनुमति के आवेदन के साथ पंजीकृत वसीयत को उप पंजीयक कार्यालय से प्रमाणित द्वितीय प्रति प्राप्त कर संलग्न की गई है, जो मूल वसीयत ही मानी जायेगी। अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में निकाला गया निष्कर्ष सही नहीं है कि मूल वसीयत प्रस्तुत नहीं हुई। वसीयतनामा के गवाह सुरेश वर्मा एवं रमेश द्वारा वसीयत की पुष्टि की गई है। उनके द्वारा वसीयत में अपने हस्ताक्षर पहचाने हैं तथा अपने समक्ष वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत में हस्ताक्षर करने की पुष्टि की गई है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मात्र हस्ताक्षर के क्रम को सही नहीं बताने के आधार पर वसीयत के गवाहों को अविश्वसनीय माना है, जो कि पर्याप्त कारण नहीं है। स्पष्ट है कि वसीयत की विधिक तरीके से पुष्टि हुई है। वसीयतकर्ता के वसीयत के अधिकार को किसी के द्वारा चुनौती नहीं दी गई है और न ही ऐसा कोई साक्ष्य पेश किया गया है। एक बहन शान्तिबाई, जो कि तहसील न्यायालय में उपस्थित थी, उसे तो पिता की मृत्यु का दिनांक एवं वर्ष भी याद नहीं है तथा उसने अपने कथनों में यह स्वीकार किया है कि पिता के मरने पर वसीयत का बताया था। अनावेदक अभय वर्मा ने तहसील न्यायालय में अपने कथन नहीं कराये हैं। एक भाई गांधीचरण के मानसिक बीमारी के सम्बन्ध में किसी भी पक्ष द्वारा कोई प्रति साक्ष्य पेश नहीं की गई है। मात्र अच्छा हस्ताक्षर करने से उसकी मानसिक अवस्था अच्छी होने का आकलन नहीं किया जा सकता है। स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश तथ्यों तथा विधिक स्थितियों के विपरीत है। तहसील न्यायालय में वसीयत की विधिवत पुष्टि हुई है।

आयुक्त ने भी मूल वसीयत पेश नहीं होना माना है, जबकि जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि पंजीयक कार्यालय से द्वितीय प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत की गई है, जिसे आयुक्त द्वारा नहीं देखा गया है। आयुक्त द्वारा बिना पर्याप्त जांच किये एवं बिना किसी आधार के अभिभाषक पत्रों को कूटरचित माना है, जो विद्वान अभिभाषकों पर भी अनावश्यक सन्देह उत्पन्न करता है। उक्त बिन्दु न तो प्रमाणित है और न ही प्रकरण के निराकरण में कोई प्रभाव डालता है। प्रकरण में तहसीलदार के आदेश को अन्य वारिसों द्वारा चुनौती नहीं दी गई।

है, जिससे स्पष्ट है कि शेष वारिस तहसील न्यायालय के आदेश से सहमत हैं। अनावेदक अभय वर्मा ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील में अन्य वारिसों को पक्षकार भी नहीं बनाया है, इसी आधार पर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक की अपील प्रचलन योग्य नहीं थी।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय ने वसीयत के आधार पर विधिवत नामांतरण की कार्यवाही की है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा सही वैधानिक स्थिति एवं तथ्यों का आकलन किये बिना निरस्त करने में त्रुटि की गई है, इसलिए उनके आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 7-12-2017, अनुविभागीय अधिकारी, बैतूल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-10-2014 निरस्त किये जाते हैं एवं तहसीलदार, बैतूल द्वारा पारित आदेश दिनांक 6-4-2013 स्थिर रखा जाता है। निगरानी स्वीकार की जाती है।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
गवालियर